

केरल की राजनीतिक व्यवस्था एवं राज्य राजनीति

डॉ. अशोक मूलवानी

सहायक आचार्य, राजनीतिशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा (राज)

प्रस्तावना –

केरल की राजनीतिक व्यवस्था एक अद्वितीय, जीवंत और बहुपक्षीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मानी जाती है, जो अपने वामपंथी झुकाव के लिए प्रसिद्ध है, यहां दो प्रमुख गठबंधनों क्रमशः वामपंथी (एलडीएफ) और कांग्रेस गठबंधन (यूडीएफ) के मध्य सत्ता के लिए बराबर संघर्ष होता रहता है और केरल राज्य का शासन केरल विधानमंडल द्वारा संचालित होता है। केरल के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यहां का मतदाता बहुत जागरूक और सतर्क है और वह यह अच्छे से समझता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था ही उपयुक्त है, लेकिन यहां गठबंधनीय सरकार है जिसमें अत्यन्त उठा-पटक और राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक दलों की चालाकियों की वजह से मौजूद रहती है। सत्ता की अदला-बदली दो गठबंधनों के मध्य ही होती रही है। केरल की राजनीति में विभिन्न समुदायों क्रमशः नायर, एझवा, ईसाई, मुस्लिम एवं अन्यो की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो राज्य राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं।

केरल की सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं इतिहास

केरल भारत का दक्षिणी पश्चिमी तटीय राज्य है, यह भारत का एक छोटा राज्य है जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1 प्रतिशत है, परन्तु आकार में इस एक प्रतिशत वाले राज्य का भारत की राजनीति व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, इतना ही नहीं उप-महाद्वीप में केरल ने अपनी संस्कृति विकसित की है, यहां विभिन्न धार्मिक परम्पराएं और भाषाई विषमता भी मौजूद है, वहीं केरल की महिलाओं को पुरुषों के बराबर और उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त है।¹

केरल जिसे 'ईश्वर का अपना राज्य'² कहा जाता है का अपना एक इतिहास है, जिसकी छाप केरल की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से दिखाई देती है, स्वतंत्रता से पहले केरल में कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन हुए। केरल भू-राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण अवस्थिति पर स्थित है। पुर्तगालियों और फिर डचों के आगमन से केरल में सामाजिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए, पश्चिमी देशों से आए मिशनरियों के कारण शैक्षणिक संस्थानों का विकास हुआ और जनमानस में शिक्षा का महत्व बढ़ा, साक्षरता की दर में वृद्धि से अधिकारों के प्रति जागरूकता का विकास हुआ, सामाजिक असमानता-अन्याय के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की। दक्षिणी राज्य केरल में जाति-व्यवस्था की जड़े गहरी रही थी, लेकिन साक्षरता बढ़ने से राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था में बदलाव शुरू हुए। केरल में हुए स्वतंत्रता आंदोलन के कारण केरल में राजशाही का पतन³ हुआ, केरल कोचीन और त्रावणकोर दो राज्यों में विभाजित हुआ, राजशाही के विघटन से सामंती व्यवस्था का अंत हुआ और सामाजिक सुधारों को गति मिली।

18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का केरल पर व्यापक प्रभाव था और इसी कारण मालाबार प्रांत का गठन हुआ। लार्डमाउण्ट बेटन की योजना उपरांत देशी रियासतों के भारत के सम्मिलन के संबंध में जो व्यवस्थाएं थीं, के संबंध में त्रावणकोर ने एक स्वतंत्र राज्य बनने की मांग की, लेकिन अंत में राजा बलराम वर्मा भारत में शामिल होने के लिए तैयार हुए, इधर मालाबार और कोचीन बिना किसी खास प्रयासों के ही भारत में सहज रूप से शामिल हो गए और केरल राज्य का गठन हो गया।⁴ केरल भारत का एक ऐसा राज्य है, जहां विधायी शक्तियां एकसदनीय केरल विधानसभा में निहित हैं, जिसका निर्धारण भारतीय संविधान 1950 द्वारा किया गया है। विधानसभा में 140 सदस्य और लोकसभा में 20 सदस्य हैं तथा राज्यसभा में 9 सीटें हैं। केरल की सामान्य सामाजिक-राजनीतिक विचारधारा और व्यवहार वामपंथी और मध्य वामपंथी समूहों की ओर दृढ़ता से झुकी हुई है।⁵

केरल में राजनीतिक अस्थिरता और उठा-पटक

कम्युनिस्ट पार्टी⁶ (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) ने दशकों से केरल की राज्य राजनीति में गहरी पैठ बनाई है। उत्तरी केरल विशेष रूप से कन्नूर और पलक्कड़ जिले कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, इसी तरह कोल्लम और अलाप्पुझा जिले भी वामपंथी या मध्यवामपंथी दलों की ओर ही झुके हुए हैं।⁷ केरल में लोकतांत्रिक मोर्चा मुख्य रूप से दो प्रमुख राजनीति गठबंधनों को प्रदर्शित करता है, जो राज्य की सत्ता में बारी-बारी से आते-जाते रहते हैं। वाम लोकतांत्रिक मोर्चे का नेतृत्व सीपीआईएम कर रही है और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है।⁸ 1980 के दशक से कांग्रेस नेतृत्व वाले मोर्चे ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चे का मुकाबला किया। 1957 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई गई थी और नंबूदरीपाद पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। केरल की ईएमएस नंबूदरीपाद सरकार दुनियाभर में पहली कम्युनिस्ट सरकार थी, जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए सत्ता हासिल की थी। सत्ता में आते ही गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन से भूमि सुधारों को लागू करने और एक नया शिक्षा विधेयक पारित करने हेतु प्रयास किए।⁹

नेहरू की केन्द्र सरकार ने 31 जुलाई, 1959 को अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए केरल की पहली निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया था। भारत में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए किसी कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता से बेदखल किया गया था। वास्तव में केन्द्र सरकार का यह डर की साम्यवाद केरल से बाहर फैल सकता है ने सरकार को बर्खास्त करने में अहम् भूमिका निभाई थी।¹⁰ केरल की लोकतांत्रिक साम्यवादी सरकार जब बर्खास्त की गई, उस समय केरल में मुक्ति संग्राम (विमोचन समरम) चल रहा था। 1958-59 में केरल में नंबूदरीपाद के खिलाफ हुआ मुक्ति संग्राम एक प्रमुख जन आंदोलन था। राजन अलाप्पुझा जो एक मजदूर थे, उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा के होने के बावजूद भगवान मैकरोनी नामक एक कथाप्रसंगम का निर्माण और निर्देशन किया, यह नाटक लोकप्रिय हुआ और इसने कई मंचों पर 'निंगल एन्ने कम्युनिस्ट आकी' नाटक से प्रतिस्पर्धा की। भगवान मैकरोनी नाटक ने खाद्य संकट के दौरान मैकरोनी खाने के सरकारी सुझाव पर कटाक्ष किया। यह नाटक नवगठित सरकार के विरुद्ध हो रहे विरोध प्रदर्शनों की नींव साबित हुआ और इसी नाटक से विमोचन समरम का मार्ग प्रशस्त हो गया।

31 जुलाई, 1959 को केरल की प्रथम कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी का प्रमुख कारण केरल से बाहर कम्युनिस्ट विचारधारा के फैलाव का डर था, पूंजीवादी अमेरिका और ब्रिटेन का दबाव भी भारत पर था। नंबूदरीपाद सरकार द्वारा लाया गया शिक्षा विधेयक, जिससे निजी स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षकों के लिए बेहतर वेतन और उचित कार्यस्थल वातावरण का निर्माण किया गया था, केरल सरकार की बर्खास्तगी का तत्कालीन कारण बना। दरअसल इन निजी स्कूलों-कॉलेजों को चर्च, नायर सर्विस सोसायटी और मुस्लिम संगठनों द्वारा चलाया जा रहा था, इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले इन समूहों ने नए शिक्षा विधेयक का विरोध किया। नंबूदरीपाद सरकार द्वारा नया कृषि संबंधी विधेयक भी लाया गया, जो साम्यवादी सरकार के ताबूद पर अंतिम कील साबित हुआ। साम्यवादी सरकार के कृषि विधेयक का उद्देश्य काश्तकार किसानों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करना, कृषि मजदूरों को भूमि का स्थायी स्वामित्व देना और व्यक्तिगत भूमि जोत पर सीमा निर्धारित करना था, ताकि अधिशेष भूमि को भूमिहीनों को वितरित किया जा सके। इससे भू-स्वामी सरकार के विरोध में खड़े हो गए।

कांग्रेस के नेतृत्व में नायर सर्विस सोसायटी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कैथोलिक चर्च ने 12 जून 1959 को 'विमोचन समारा दिवस' मनाया। यह कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत थी। तत्कालीन राज्यपाल वेंकट विश्वनाथन ने अपनी अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में केन्द्र को लिखा कि कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं रही है, इसलिए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता हूँ। केन्द्र सरकार ने सीधे राज्यपाल के माध्यम से राज्य का शासन अपने नियंत्रण में ले लिया।¹¹ राष्ट्रपति शासन के बाद फरवरी, 1960 में केरल में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के गठबंधन ने नई सरकार का गठन किया। पी. टी. पिल्लई के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। इस सरकार में पहली बार मुस्लिम लीग भी शामिल हुई और उसे स्पीकर का पद प्राप्त हुआ।¹² पट्टम थाणु पिल्लै¹³ 26 सितंबर, 1962 तक ही

मुख्यमंत्री रह सके, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बीच तनाव बढ़ गया था, प्रशासनिक मतभेद चरम पर पहुंच गए और उनकी स्थिति मुख्यमंत्री के रूप में कमजोर हो गई थी। नई सरकार ने आते ही शिक्षा और कृषि संबंधी प्रावधानों को संशोधित किया, यह सरकार सिर्फ सितंबर, 1964 तक ही चल सकी। श्री पिल्लै के इस्तीफे के बाद 26 सितंबर, 1962 को श्री आर. शंकर राज्य के मुख्यमंत्री बने, वे मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य में उप-मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, वे केरल में पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सितंबर, 1964 में कांग्रेस की आंतरिक कलह के कारण उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

तत्कालीन रूप से कांग्रेस में आंतरिक कलह का प्रमुख कारण यह था कि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व को उनकी कार्यशैली पसंद नहीं थी, 1964 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और 15 विधायकों के समर्थन लेने के कारण उनकी सरकार गिरी। कांग्रेस के बागी विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष का साथ दिया, जिससे सरकार गिर गई, दरअसल गौर करें तो श्री आर. शंकर का झुकाव नीतिगत फैसलों में स्वतंत्र रहने का रहा था, जिसे पार्टी आलाकमान ने राजनीतिक रूप से असुविधाजनक और सही नहीं माना, इस तरह आंतरिक कलह और बागी कांग्रेसियों के कारण श्री आर. शंकर को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।¹⁴

10 सितंबर, 1964 को केरल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो 6 मार्च, 1967 तक (1131 दिन) जारी रहा।¹⁵ 1965 में केरल विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन परिणाम त्रिशंकु विधानसभा वाले रहे, जिससे निलंबित विधानसभा और 25 मार्च 1965 से राष्ट्रपति शासन जारी रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 36 और केरल कांग्रेस ने 26 एवं संयुक्त समाजवादी पार्टी ने 13, आईयूएमएल ने 6 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 सीटें हासिल की, जबकि स्वतंत्र पार्टी 12 स्थानों पर जीती। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन गठबंधन न बनने और गठबंधन का नेता कौन होगा ? के प्रश्न पर परस्पर सहमति नहीं बनने से सरकार का गठन नहीं हो सका और विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।¹⁶

21 फरवरी, 1967 को केरल में चतुर्थ विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, यह चुनाव 1965 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में हुआ, इन चुनावों के उपरांत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सप्तकक्षी मुन्नानी नाम से गठबंधन सरकार बनाई, इस गठबंधन को 113 सीटें प्राप्त हुईं, कांग्रेस मात्र 9 स्थानों पर सिमट के रह गई, यह कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन था, 6 मार्च, 1967 को ई एम एस नंबूदरीपाद ने पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके साथ मंत्रिमंडल में 14 सदस्यों ने शपथ ली, मंत्रिमंडल में पहली बार मुस्लिम लीग के 2 सदस्य शामिल हुए।¹⁷ 1967 का वर्ष भारतीय राजनीति में महान् विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के दो धड़ों सीपीआई और सीपीआई एम के बीच सरकार के गठन के पहले ही दिन से वैचारिक मतभेद, सत्ता संघर्ष और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर परस्पर मतभेद था, यह मतभेद इतना गहरा था कि सरकार का स्थायी रह पाना संभव नहीं था। चुनाव परिणामों के उपरांत गठबंधनीय शासन में सीपीआईएम की सबसे बड़ी भागीदारी सुनिश्चित होने से उनकी कथित मनमानी ने गठबंधन के अन्य सदस्यों के लिए संदेह का बीज बो दिया, शासन में छोटी पार्टियां भी बड़े घटक दल के जैसे ही भागीदारी प्राप्त करना चाहती थी, जिससे छोटे घटक दलों के मध्य असंतोष सरकार के कार्यकाल बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता ही गया। इस अवधि में विद्यार्थियों की हड़तालों और पुलिस फायरिंग हुई। सीपीआई, एसएसपी और मुस्लिम लीग ने गठबंधन के भीतर अपना अलग समूह बना लिया और गठबंधन के भीतर सीपीआईएम का विरोध करने लगे।

छोटे घटक दलों का जब अपनी ही सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ा, तो उनके मंत्रियों ने मंत्रिमण्डल से इस्तीफे देने शुरू कर दिए और धीरे-धीरे वे गठबंधन से अलग हो गए और महज 32 महीनों के भीतर ही आंतरिक कलह के कारण 24 अक्टूबर, 1969 को विधानसभा में बहुमत खोने पर मुख्यमंत्री नंबूदरीपाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीपीआई गठबंधन से अलग हुई, उसने अपना एक लघु गठबंधन बनाया और उसने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई। अच्युत मेमन ने 1 नवंबर, 1969 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने विधानसभा भंग होने तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। गठबंधन सहयोगी भारतीय समाजवादी पार्टी में विभाजन

और कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी के कारण 1 अगस्त, 1970 को मुख्यमंत्री मेमन की सरकार गिर गई, लेकिन श्री मेमन केरल के प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में से एक रहे।¹⁸

केरल में राजनीतिक स्थिरता एवं राष्ट्रीय आपातकाल

विधानसभा चुनावों के उपरांत श्री मेमन पुनः 4 अक्टूबर, 1970 से 1977 तक मुख्यमंत्री रहे। 1970 के विधानसभा चुनावों के बाद सीपीआई, आईएनसी, आरएसपी, आईयूएमएल और पीएसपी के संयुक्त मोर्चे की कमान श्री मेमन ने संभाली और पहली बार केरल में किसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। केरल की राज्य राजनीति में 1970 से 1977 के बीच जब सत्ता श्री मेमन के पास थी, तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चे के लिए सरकार के स्थिरीकरण से संबंधित चुनौतीपूर्ण कार्य था, अर्थात् राज्य के विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता की चुनौती से संबंधित था। श्री मेमन के सम्मुख भूमि सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों के अनुरूप व्यवहार करने और राजनीतिक पुनर्गठन की चुनौतियां सामने थीं। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अच्युत मेमन ने अपने कार्यकाल के दौरान भूमि सुधार संशोधन अधिनियम, 1969 का कार्यान्वयन किया। इस अधिनियम के क्रियान्वयन से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन संभव हो सका, भूमि स्वामित्व की सीमा निर्धारित हुई और भूमि जोतने वाले किसानों को उनकी भूमि मिल पाई। कुल मिलाकर ग्रामीण समाज का ऐतिहासिक विवादस्पद पुनर्गठन हुआ। इस दौरान सीपीआई (एम) और सीपीआई के मध्य वैचारिक विभाजन और गहरा हो गया, सीपीआई ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और सीपीआईएम विपक्षी दल के रूप में कार्य करने लगा।¹⁹

केरल में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, तो 'मीसा' के तहत प्रमुख विपक्षी सदस्यों और नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जबकि संयुक्त मोर्चे की सरकार अनवरत चलती रही।²⁰ डीआईआर और एमआईएसए (मीसा) के द्वारा आपातकाल के दौरान हुए विरोधी आंदोलनों को दबाया गया, हजारों गिरफ्तारियां हुईं। बच्चों, महिलाओं, युवाओं और पुरुषों को घोर यातनाएं झेलनी पड़ी। डिफेंस ऑफ इण्डिया रूल और मीसा ऐसे कानून थे जिसके तहत संदिग्ध व्यक्तियों/आंदोलनकारियों/विरोधियों/विपक्षी पार्टियों के नेताओं/पत्रकारों को अनिश्चितकाल के लिए गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित करने, प्रेस सेंसरशिप लागू करने और सरकार के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने जैसे कार्य किए गए। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हुआ और नजरबंदी के माध्यम से लोगों को बिना किसी सुनवाई या वकील की सुविधा के रखा गया, लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया और कार्यपालिका को असीमित शक्तियां दे दी गईं।

जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई एवं आरएसएस-सीपीएम के महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हुए, पुलिस की ज्यादतियों और बर्बरता के वे शिकार हुए। इस तरह केरल में आपातकाल के दौरान अभूतपूर्व हिंसा और पुलिस की क्रूरता देखने को मिली। आरएसएस स्वयंसेवकों एवं एलएसएस ने आपातकाल के दौरान अनुकरणीय भूमिका निभाई। इस दौरान केरल में अराजकतापूर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें अपने विरोधियों खासकर के आरएसएस, वीएचपी को कुचला गया, बीबीसी जहां इंदिरा सरकार की कार्यवाहियों की जानकारी दे रहा था, तो दूसरी ओर ऑल इण्डिया रेडियो ने इंदिरावाणी की भूमिका निभाई थी।²¹

केरल में पुनः राजनीतिक अस्थिरता

केरल में कॉलेज छात्र पी. राजन की पुलिस हिरासत में हुई मौत ने राज्य की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिला के रख दिया और इस मौत के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करुणाकरण जिन्होंने 25 मार्च 1977 को श्री मेमन के कार्यकाल पूर्ण होने से इस्तीफे के बाद ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी को अपने पद से 25 अप्रैल, 1977 इस्तीफा देना पड़ा।²² ए. के. एंटनी ने सर्वप्रथम केरल के मुख्यमंत्री के रूप में 1977-1978 में कार्य किया, 27 अप्रैल, 1977 को उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे मात्र 36 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बने, लेकिन गुटबाजी के कारण वे लम्बे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह सके। उन्हें कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह के कारण इस्तीफा देना पड़ा। उनका कार्यकाल केरल की राजनीति में अत्यधिक अस्थिरता, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और गठबंधन सहयोगियों के साथ वैचारिक मतभेदों से भरा था, जिससे उन्हें अंततः इस्तीफा देना पड़ा।²³ केन्द्र में जनता

पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य में राजनीतिक दबाव के कारण भी भारी दबाव रहा। यह वह समय था जब जनता का विश्वास खो दिया है के सिद्धांत के आधार पर 9 राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में 30 अप्रैल, 1977 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह कदम 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद उठाया गया था।²⁴ केरल में 29 अक्टूबर, 1978 को पी. के. वासुदेवन नायर केरल के मुख्यमंत्री बनाए गये। वे लगभग 1 वर्ष तक केरल के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करते रहे। उन्होंने 348 दिन बाद 12 अक्टूबर 1979 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के पीछे कारण संयुक्त मोर्चे के सहयोगियों के बीच गंभीर मतभेद रहा। मुख्यमंत्री यह भी चाहते थे कि सीपीआई और सीपीआईएम के बीच दरार खत्म होकर एकता स्थापित हो और नई वामपंथी सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो।²⁵

पी. के. वासुदेवन नायर के इस्तीफे के बाद एक बार फिर केरल में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई, परिणामस्वरूप कांग्रेस समर्थित गठबंधन के नेतृत्वकर्ता के रूप में सी. एच. मोहम्मद कोया ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी मुस्लिम को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, वे भारतीय मुस्लिम संघ के पहले नेता थे, जिन्हें यह महत्वपूर्ण पद मिला था। उनका सत्ता में आना केरल की पांचवी विधान सभा में हुए राजनीतिक बदलाव का परिणाम था, उन्होंने दिसंबर, 1979 में इस्तीफा दिया, वे महज 53 दिन ही मुख्यमंत्री पद पर रहे। उनकी पार्टी आईयूएमएल ने केरल कांग्रेस के के. करुणाकरण के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई थी। अपने संक्षिप्त कार्यकाल में उन्होंने उपहार विलेख विधेयक पारित किया, जिसके कारण केरल में केरल भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन हुआ, 1 दिसंबर, 1979 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री पद से हटने के उपरांत भी उन्होंने 1981 से अपनी मृत्यु से पूर्व तक (1983) उप-मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया²⁶ 5 दिसंबर, 1979 से 25 जनवरी, 1980 तक केरल में राष्ट्रपति शासन रहा।²⁷ 25 जनवरी 1980 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ई. के. नयनार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 20 अक्टूबर, 1981 को गठबंधन सहयोगियों केरल कांग्रेस एम और कांग्रेस ए के समर्थन वापिस लेने से इस्तीफा दिया। केरल में तात्कालिक रूप से राजनीतिक अस्थिरता का कारण यह था कि नयनार सरकार कई छोटे दलों के गठबंधन से बनी थी, जिसमें वैचारिक मतभेद थे, सबसे पहले कांग्रेस ए ने समर्थन वापिस लिया और फिर केरल कांग्रेस (एम) के अलग होने से सरकार अल्पमत में आ गई।²⁸ इसके बाद अगले ही दिन केरल में 21 अक्टूबर, 1981 से 28 दिसंबर 1981 तक गठबंधन टूटने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।²⁹

28 दिसंबर 1981 को के. करुणाकरण को केरल का मुख्यमंत्री³⁰ बनाया गया, के. करुणाकरण को सरकार निर्माण के बाद एक चुनौती का सामना करना पड़ा कि उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष को विधानसभा में लगभग बराबर की स्थिति प्राप्त थी, इस दुविधा के कारण उस समय केरल में एक हास्यास्पद स्थिति बनी कि स्पीकर ए. सी. जोस को सरकार बचाने के लिए 8 बार अपना मत डालना पड़ा, अंततः मार्च, 1982 में सत्ता पक्ष के एक विधायक के पाला बदल लेने से सरकार अविश्वास की स्थिति में आ गई और सरकार गिर गई, इस तरह सिर्फ 79 दिनों के अंतराल से एक बार पुनः केरल में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन गई और पुनः केरल में 17 मार्च, 1982 से 23 मई 1982 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा।³¹ 67 दिन बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया और पुनः राज्य में विधानसभा चुनाव हुए।

केरल में पुनः राजनीतिक स्थिरता एवं राजनीतिक गठबंधनों का दौर

केरल में हुए 7वें विधानसभा चुनावों में के. करुणाकरण के नेतृत्व में यूडीएफ ने मामूली अंतर से लेकिन निर्णायक जीत हासिल करते हुए एलडीएफ की 63 सीट के मुकाबले 77 सीटों पर जीत हासिल की, तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करुणाकरण ने स्वयं 2 विधानसभा सीटों क्रमशः माला और नीमोम से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, इसके अलावा के. करुणाकरण ए. के. एंटनी, ओमन चांडी और वायलर रवि जैसे महत्वपूर्ण बागी कांग्रेसी नेताओं को वापिस कांग्रेस में लाने में सफल रहे। के. करुणाकरण ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया और 4 वर्ष 306 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे।

दरअसल के. करुणाकरण केरल की राजनीति के एक कद्दावर नेता रहे हैं और केरल में राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक विकास के साथ उनका नाम जोड़ा जाता रहा है। 1982 में केरल का मुख्यमंत्री बनने से पूर्व भी वे केरल के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन वैचारिक मतभेदों और सहयोगी दलों के दबाव के कारण वे केरल को एक स्थिर सरकार नहीं दे सके। निश्चित रूप से वे अपनी राजनीतिक चतुराई के लिए लीडर के रूप में प्रसिद्ध रहे थे और उन्होंने राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें केरल का चाणक्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजकुमार कहा जाता रहा है। उन्होंने केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन किया जो आज भी कांग्रेस का मुख्य गठबंधन है। उनके समय में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम में टेक्नोपार्क और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं विकसित हुईं। उन्हें केरल के तेजतर्रार धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में जाना जाता रहा है, वे एक ऐसे नेता थे जिस पर सभी समुदायों को भरोसा था। उनकी छवि एक कुशल रणनीतिकार और एक दृढ़निश्चयी प्रशासक के रूप में केरल में स्थापित है।³²

1987 से 1992 के मध्य केरल में मुख्य रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले एलडीएफ के बीच सत्ता परिवर्तन हुआ। 1982 में के. करुणाकरण यूडीएफ मुख्यमंत्री थे तो 1987 में एलडीएफ के ई. के. नयनार ने जीत हासिल की और मुख्यमंत्री बने। यह समय राज्य में राजनीतिक गठबंधन के प्रयोगों का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। 26 मार्च, 1987 को ई. के. नयनार मुख्यमंत्री बने, यह एलडीएफ का शासनकाल था, एलडीएफ में सीपीआईएम का प्रमुख स्थान था। ई. के. नयनार के इस कार्यकाल में ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों में वृद्धि हुई, उस समय ट्रेड यूनियनों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई। ई. के. नयनार वामपंथी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे जो 1991 तक चली।³³ जून, 1991 में केरल में विधानसभा चुनाव हुए इन चुनावों में यूडीएफ ने एलडीएफ को हराकर सत्ता में वापिसी की और के. करुणाकरण मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने बहुमत हासिल किया, केरल में विधानसभा चुनाव उस समय हुए जब भारत में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी और पी. वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। 1991 के चुनावों से यूडीएफ की वापिसी राज्य में बारी-बारी से सरकार बदलने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।³⁴

पामोलीन तेल आयात घोटाला, इसरो जासूसी काण्ड और दबाव की राजनीति

पामोलीन तेल आयात घोटाला, जिसे राजनीति में पामोलीन कांड की संज्ञा दी जाती है, भ्रष्टाचार के इस मामले से निश्चित ही केरल राज्य की छवि खराब हुई, तत्कालीन सरकार पर यह आरोप लगा कि यूडीएफ सरकार ने सिंगापुर स्थित पावर एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी से 15000 टन पामोलीन तेल को बढ़ी हुई कीमतों पर आयात कर राज्य के खजाने को 2.8 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। 1990 के दशक की शुरुआत में सामने आए इस मामले पर महालेखाकार की जुलाई 1993 में एक अधिकारिक रिपोर्ट आई, जिसमें अधिकारिक तौर पर अनियमितताओं को उजागर किया गया। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व खाद्य सचिव का नाम आया और उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन 23 दिसंबर, 2010 को के. करुणाकरण की मृत्यु हो गई और फिर तत्कालीन खाद्य सचिव पर मुकदमा चला। इस मामले ने सालों तक यूडीएफ और एलडीएफ के बीच राजनीतिक लड़ाई को गरमाए रखा।³⁵ 2013 में केरल उच्च न्यायालय ने इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी को क्लीन चिट दी थी, जिसे एलडीएफ ने चुनौती दी थी। यह घोटाला वामपंथी मोर्चे के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का एक बड़ा हथियार बना था, इस मामले ने निश्चित ही केरल में प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता की बहस को जन्म दिया था।³⁶

जून, 1991 में करुणाकरण ने केरल के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और केरल की राजनीति में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में रहा। इस काल की राज्य राजनीति की प्रमुख विशेषताओं में यूडीएफ की सत्ता पर मजबूत पकड़, व्यापक बुनियादी ढांचागत विकास (कोच्चि हवाई अड्डा) और कांग्रेस के भीतर ही भीतर तीव्र गुटबाजी और असंतोष पनपता हुआ दिखाई दिया। इस काल में पामोलीन तेल आयात मामले में करुणाकरण का नाम आया और व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा भी हुआ और दूसरी तरफ राज्य में कुशल किंग मेकर के रूप में करुणाकरण की प्रशासनिक क्षमता उजागर हुई। मुख्यमंत्री ने ढांचागत परियोजनाओं पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित

किया, जिसमें कोच्चि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, टेक्नोपार्क तिरुवनंतपुरम् में और जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का विकास शामिल था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के भीतर ए. के. एंटनी गुट के साथ तनाव और कांग्रेस आलाकमान के साथ संबंधों को लेकर पार्टी के भीतर ही गुटबाजी की राजनीति सक्रिय थी। इन सबके साथ करुणाकरण का इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एवं उसकी गतिविधियों पर भी पूर्ण नियंत्रण रहा। कुल मिलाकर राजनीतिक स्थायित्व उनके कार्यकाल में परिलक्षित होता है।³⁷

केरल की राज्य राजनीति में राजनीतिक अस्थिरता उसके जन्म के साथ ही जुड़ी हुई है। ए. के. एंटनी 1995 में केरल के मुख्यमंत्री ऐसी विषम परिस्थितियों में बने, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करुणाकरण को इसरो जासूसी मामले³⁸ में राजनीतिक दबाव और आंतरिक विरोध को झेलना पड़ा, इसके बाद करुणाकरण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केन्द्रीय आलाकमान ने एंटनी को जो उस समय केन्द्र में मंत्री थे को मुख्यमंत्री बना दिया। करुणाकरण पर लगे गंभीर आरोपों के कारण उन्हें पार्टी के भीतर से भी दबाव झेलना पड़ा, तब ऐसे में केन्द्रीय आलाकमान ने स्वच्छ छवि वाले ए. के. एंटनी को के. करुणाकरण के विकल्प के रूप में चुना। ए. के. एंटनी को केन्द्रीय नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री के पद से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया गया, लेकिन जब 1 जून, 1995 को उनको केरल का मुख्यमंत्री बनाया गया तब वे राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद वे उप-चुनाव के जरिए तिरुंगडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए।³⁹ लगभग 1 साल तक ही वे मुख्यमंत्री रह पाए। ए. के. एंटनी केरल की राजनीति में वही व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस 'ए' का गठन किया, लेकिन बाद में इसका कांग्रेस में ही विलय हो गया था, पहली बार ए. के. एंटनी को 27 अप्रैल, 1977 को केरल का मुख्यमंत्री बनाया गया था और वे कांग्रेस के सबसे युवा (36 आयु) मुख्यमंत्री बने। 1996–2001 में ए. के. एंटनी ने केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका⁴⁰ निभाई, उनके लोकतांत्रिक मोर्चे को मई, 1996 के विधानसभा चुनावों में मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था।

1996 में एलडीएफ सत्ता में लौटा और ई. के. नयनार पुनः मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए।⁴¹ मुख्यमंत्री नयनार के कार्यकाल में प्रमुख विपक्षी यूडीएफ के साथ उनकी वैचारिक प्रतिस्पर्धा रही। जनभागीदारी योजना अभियान इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि यह 1996 में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, एक क्रांतिकारी विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम था, जिसमें स्थानीय निकायों में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी को सुनिश्चित किया गया, ताकि स्थानीय लोकतंत्र सुदृढ़ हो सके। सरकार ने राज्य के विकास बजट का 35 से 40 प्रतिशत हिस्सा सीधे स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किया। यह काल आरएसएस और सीपीआईएम तथा एलडीएफ व यूडीएफ के बीच सीधे टकराव, तनाव और प्रत्यक्ष हिंसा का समय था। पंचायती राज व नगरपालिका अधिनियमों में संशोधनों सहित कई महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए।⁴² 2001 के चुनावों में तत्कालीन सरकार को हार का सामना करना पड़ा और सत्ता में यूडीएफ की वापसी हुई और ए. के. एंटनी मुख्यमंत्री बने।⁴³ ए. के. एंटनी 17 मई, 2001 को केरल के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनावों में सभी 20 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को हार का सामना करना पड़ा, इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एंटनी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ओमन चांडी मुख्यमंत्री बन गए।⁴⁴

एंटनी-करुणाकरण की गुटबाजी, लोकसभा चुनाव में यूडीएफ की हार मुख्यमंत्री एंटनी का इस्तीफा

2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की बड़ी हार के पीछे बड़ा कारण राज्य में कांग्रेस के भीतर भारी गुटबाजी (एंटनी बनाम करुणाकरण गुट) और केरल की कमजोर आर्थिक स्थिति का होना था। दरअसल केरल की राज्य राजनीति में श्री एंटनी को मिस्टर क्लीन की छवि प्राप्त थी, उन्होंने हमेशा से सिद्धांत आधारित राज्य राजनीति पर बल दिया एवं विवाद एवं हार की स्थिति में पद छोड़ने से भी संकोच नहीं किया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद केरल में कांग्रेस में गुटबाजी पर तो विराम लगा, लेकिन उनके जाने से राज्य में कांग्रेस नेतृत्व कमजोर हो गया, इन सब के बावजूद एंटनी को केन्द्र की यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री का पद मिला।

केरल में एंटनी बनाम करुणाकरण के मध्य मतभेद का कारण केरल कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई, वैचारिक मतभेद व गुटबाजी था। दोनों के बीच केरल में लम्बे समय तक संघर्ष चला। करुणाकरण की कार्यशैली जहां

अधिक आक्रामक और राज्य केन्द्रित रही, वहीं ए. के. एंटनी को गांधी व पार्टी आलाकमान के करीबी माना जाता था और वे अपनी नरम छवि के लिए जाने जाते थे। करुणाकरण के इस्तीफे के बाद जब एंटनी मुख्यमंत्री बने तो करुणाकरण ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उनकी सरकार को बहुत बार अस्थिर करने की कोशिश की। 1995 में जब इसरो जासूसी मामले के बाद राजनीतिक दबाव के कारण करुणाकरण को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा तो एंटनी के मुख्यमंत्री बनने से उनके और करुणाकरण के मध्य मतभेदों की खाई और गहरी हो गई। एक बात ओर जो यहां अत्यन्त महत्वपूर्ण है वह यह थी कि ए. के. एंटनी के पीछे युवा नेताओं की एक नई पीढ़ी (खासकर ओमन चांडी) थी, जो केरल कांग्रेस और यूडीएफ को बेहतर राजनीतिक भविष्य दे सकते थे और यही युवा नेतृत्व व पीढ़ी करुणाकरण के वर्चस्व को चुनौती भी दे रहा था।⁴⁵ इन मतभेदों के दौर में करुणाकरण ने 2005 में कांग्रेस छोड़कर एक अलग पार्टी डीआईसी-के बना ली, लेकिन वे और उनकी पार्टी पुनः कांग्रेस में लौटकर आ गए। कुल मिलाकर ए. के. एंटनी के 2004 तक के कार्यकाल में केरल में विकास उन्मुख नीतियों, राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक सुधार एवं आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया गया। एंटनी ने विभिन्न सहयोगी दलों को साथ लेकर यूडीएफ को मजबूत जरूर किया और केरल को एक समावेशी शासन प्रदान किया और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के लिए ई-गवर्नेंस और नौकरशाही को भी जवाबदेह बनाया।⁴⁶

श्री ओमन चांडी 2004 से 2006 तक पहली बार केरल के मुख्यमंत्री बने, उनके कार्यकाल में केरल की राज्य राजनीति जनसंपर्क और विकास पर केन्द्रित रही। श्री चांडी ने सीधे जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनने का एक अनूठा कार्यक्रम चलाया, जिसके लिए उन्हें 2013 में संयुक्त राष्ट्र का सार्वजनिक सेवा का पुरस्कार मिला⁴⁷ उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया, जिसमें कोच्चि मेट्रो और विझिंजम बंदरगाह विकास परियोजनाएं मुख्य थीं। श्री चांडी केरल कांग्रेस एक कद्दावर नेता रहे और 50 से अधिक वर्षों तक पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे।⁴⁸

एलडीएफ बनाम यूडीएफ के बीच सत्ता के हस्तान्तरण की राजनीति

2006 में केरल की राजनीति में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की जीत हुई⁴⁹ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को सत्ता से बाहर होना पड़ा। 18 मई 2006 को सीपीआईएम के श्री वी. एस. अच्युतानंदन मुख्यमंत्री बने, तत्कालीन चुनावों में विकास और बिजली-पानी जैसे स्थानीय मुद्दे राजनीति पर हावी रहे। 2006 के विधानसभा चुनावों के परिणामस्वरूप केरल में पारंपरिक एलडीएफ बनाम यूडीएफ के बीच सत्ता के हस्तान्तरण की राजनीति जारी रही, जहां हर पांच साल में सत्ता बदल जाती है।⁵⁰ वी. एस. अच्युतानंदन के कार्यकाल में केरल की राज्य राजनीति आक्रामक वामपंथी नीतियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और पार्टी के भीतर गुटबाजी (वी. एस. अच्युतानंदन बनाम विजयन) का मिश्रण रही। उन्होंने मुन्नार में अतिक्रमण विरोधी अभियानों और लॉटरी माफिया के खिलाफ कड़ी कार्यवाहियां और निजी हाथों से सार्वजनिक संसाधनों को वापिस लेने के लिए आक्रामक कार्यवाही करवाई, जिसे भारी जनसमर्थन मिला और उनकी छवि आम आदमी के नेता के रूप में स्थापित हुई। कुल मिलाकर 2006 से 2011 तक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भूमि सुधारों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और निहत्थे लोगों की आवाज उठाने पर ध्यान केन्द्रित किया।⁵¹

2006 से 2011 तक केन्द्र में यूपीए की सरकार थी, श्री अच्युतानंदन ने केन्द्र सरकार की नीतियों जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार इससे केरल के खाद्य तेल उत्पादक प्रभावित हो रहे थे।⁵² उनके कार्यकाल के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर, विशेष रूप से पिनाराई विजयन के साथ उनकी गुटबाजी चरम पर रही, जिससे पार्टी की जड़े कमजोर होती रहीं और उनकी छवि भी धूमिल होती रही, लेकिन फिर भी उनकी छवि संघर्षरत नेता की रही। अप्रैल-मई 2011 को विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव उपरांत कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ मामूली अंतर से पुनः सत्ता में आने में सफल रहा। यूडीएफ को 72 और एलडीएफ को 68 सीटें प्राप्त हुईं। 18 मई, 2011 को पुनः श्री चांडी ने केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ओमन चांडी का दूसरा कार्यकाल केरल की राजनीति में विकास केन्द्रित रहा।⁵³ इस काल में उन्होंने इमर्जिंग केरल के माध्यम से निवेश को बढ़ावा दिया और 'डिजिटल केरल' की नींव रखी। उन्होंने युवाओं को नौकरियां दीं। 27 फरवरी, 2016 को केरल को

भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया।⁵⁴ कोच्चि में 2012 के इमर्जिंग केरल शिखर सम्मेलन में 26 क्षेत्रों को उजागर किया गया, इनमें आईटी, स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र प्रमुख रहे। युवाओं को 167096 नौकरियां दी गईं और 46500 नए पद सर्जित किए गए। बार्स को हतोत्साहित करके राज्य में शराब को प्रतिबंधित करने का निर्णय किया गया। राजनीतिक हत्याएं भी पहले की तुलना में कम हुईं और राजनीतिक स्थिरता भी स्थापित हुई। सरिता नायर से जुड़े सोलर घोटाले ने उनके प्रशासन को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे उनके कार्यकाल पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, विपक्ष के दबाव में उन्हें अपने कार्यकाल को पूर्ण करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें एक जमीनी स्तर का लोकप्रिय नेता माना गया। 2016 में केरल के विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) ने शानदार जीत हासिल की, जिसे सीपीआईएम का नेतृत्व प्राप्त था। 140 विधानसभा सीटों में से एलडीएफ ने 77 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ 47 सीटों पर ही सिमट कर रह गया।⁵⁵ 19 मई, 2016 को घोषित परिणामों के बाद पिनाराई विजयन ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला।⁵⁶ इस चुनाव ने केरल में सत्ता विरोधी लहर ने सरकार में बदलाव सुनिश्चित किया था। 2016 से केरल की राजनीति की प्रमुख विशेषता वाम लोकतांत्रिक मोर्चे का दबदबा है, जिसने 2016 और 2021 में लगातार जीत हासिल कर सत्ता परिवर्तन के दशकों पुराने रिवाज को तोड़ा है। पिनाराई विजयन के नेतृत्व में सरकार ने आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया, जिससे विकास केन्द्रित राजनीति को केरल में बढ़ावा मिला।

सत्ता परिवर्तन के मिथक का टूटना

2016 में सत्ता में वापसी करने के बाद एलडीएफ ने पुनः 2021 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर केरल में प्रत्येक 5 साल में सरकार बदलने के 40 साल पुराने ट्रेंड को तोड़ दिया।⁵⁷ श्री पिनाराई विजयन सरकार ने नए केरल मिशन के तहत के-फोन, केरल बैंक और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। केरल प्राकृतिक आपदा के तहत बाढ़, निपाह वायरस और कोविड-19 जैसी चुनौतियों के दौरान सरकार की मजबूत प्रतिक्रिया ने सरकार की साख बढ़ाई और 2021 में सत्तापक्ष की ही जीत की नींव रखी। इसके अतिरिक्त कुडुम्बश्री के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, फसलों के आधार मूल्य को निर्धारित करने और जन-केन्द्रित योजनाएं लागू करना सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक रहे। एलडीएफ ने राजनीतिक रूप से कामयाब होकर केरल में भाजपा के विस्तार को काफी हद तक रोकने में सफलता पाई है, 2016 में एक सीट नेमोम और 2024 में त्रिशूर की सीट को छोड़कर एलडीएफ ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूती प्रदान की है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में आंतरिक गुटबाजी ने उसे सत्ता में वापिस आने से रोक दिया है। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने 140 में से 99 सीटें जीतीं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह रही कि एलडीएफ की सरकार बरकरार रही। 40 से अधिक वर्षों में यह पहली बार था कि किसी मौजूदा सरकार ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया और पुनः निर्वाचित हुई। सत्ता में परिवर्तन का यह चक्र क्यों टूटा? इस पर गहन अध्ययन किया जाना जरूरी प्रतीत होता है।

तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन सरकार ने संकटन प्रबंधन से जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाया, सरकार को 2018 की केरल में आई बाढ़, निपाह वायरस के प्रकोप और कोविड-19 महामारी सहित कई संकटों से निपटने में व्यापक रूप से सफलता मिली थी, उनका संकट प्रबंधन संकटग्रस्त जनता के लिए उनके घावों पर उत्तम मलहम लगाने जैसा था। इसके अतिरिक्त विस्तारित सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खाद्य वितरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे उपायों ने एलडीएफ के जन समर्थन को मजबूत किया, केरल का कमजोर पीड़ित समूह सरकार को अपना मसीहा मानने लगा। इसके अलावा दशकों बाद सत्ता विरोधी लहर कमजोर रही, विपक्ष सत्ता परिवर्तन की हवा को भुना नहीं पाया। जनता का विरोध सरकार विरोधी भावना में नहीं बदल पाया। 2021 के चुनाव परिणामों ने केरल की राजनीतिक संरचना को ध्वस्त तो नहीं किया, लेकिन हर बार सत्ता परिवर्तन का मिथक अब टूट गया, एलडीएफ बनाम यूडीएफ की राजनीतिक द्वि-ध्रुवीय प्रणाली बनी रही, लेकिन कमजोर अवश्य हुई। आज भी केरल का मतदाता जागरूक है, इसमें कोई दो राय नहीं।

सरकार और राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान के मध्य विवाद

यहां केरल की राज्य राजनीति में सरकार और राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान के मध्य चले विवाद को उल्लेखित करना आवश्यक होगा, क्योंकि राज्यपाल भी राज्य की संवैधानिक मशीनरी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में नाममात्र की कार्यपालिका की भूमिका भी अहम है, दरअसल केरल के संदर्भ में श्री आरिफ मोहम्मद खान जो 6 सितंबर, 2019 को केरल के राज्यपाल बने और 24 दिसंबर 2024 तक राज्यपाल रहे के समय केरल की वामपंथी सरकार और राजभवन के मध्य लगातार टकराव की स्थिति बनी रही, राज्यपाल महोदय ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति अवैध बताते हुए चुनौती दी और उन नियुक्तियों पर रोक लगाई, राज्य विधानसभा द्वारा पारित कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने में देरी की, जिससे राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इसके अतिरिक्त केरल में एस. एफ. आई के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके काफिले को रोकने और विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्होंने राज्य में संवैधानिक तंत्र के पतन व असफल होने की केन्द्र से आशंका जताई, जनवरी, 2024 में कोल्लम में एसएफआई कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद वे अपनी गाड़ी से उतरकर सड़क किनारे कुर्सी लगाकर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल को बर्खास्त करने की मांग की, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। इसी तरह राज्यपाल ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा बताए गए कई हिस्सों को नहीं पढ़ा, जिस पर विवाद हुआ और वे सुर्खियों में आए।⁵⁸

केरल विधानसभा चुनाव अप्रैल 2026 पुनः सत्ता परिवर्तन

वर्तमान विधानसभा चुनाव अप्रैल, 2026 भी एलडीएफ एवं यूडीएफ इन्हीं दो घटकों के मध्य उलझा रहा और केरल की राज्य राजनीति में कुछ बदलावों की संभावना दिखाई दी। 9 अप्रैल, 2026 को हुए वर्तमान विधानसभा चुनाव 2026 में केरल में नए राजनीतिक संकेत मिले हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीविजयन के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी की हवा दिखाई दी और मुस्लिम वोटर भी एकजुट होते दिखे हैं। बंपर वोटिंग को सत्ता विरोधियों के पक्ष में माना गया है। 4 मई, 2026 को आए चुनाव परिणामों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 63, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम) को 26, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) को 22, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) को 8, केरल कांग्रेस (केईसी) को 7, केईसी (जेकब) को 1, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) को 3, बीजेपी को 3, आरजेडी को 1 और शेष अन्य व निर्दलीय को 6 स्थान प्राप्त हुए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की श्री वी. डी. सतीशन के नेतृत्व में सरकार बनी और एक बार फिर एलडीएफ व यूडीएफ के बीच सत्ता के लिए संघर्ष दिखाई दिया, केरल की राजनीतिक रूप से परिपक्व जनता ने एलडीएफ को सत्ता से बाहर कर दिया।⁵⁹

सारांश

समग्रतः केरल की राजनीतिक व्यवस्था मुख्य रूप से द्विध्रुवीय गठबंधन पर आधारित रही है। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता की अदला-बदली होती दिखाई दी है, इस पर रोक 2021 से लग गई थी, किंतु वर्तमान विधानसभा चुनाव से सत्ता परिवर्तन के संकेत मिलने लगे थे और सत्ता परिवर्तन हुआ भी, श्री वी. डी. सतीशन मुख्यमंत्री बने। कम्युनिस्ट विचारधारा का केरल गढ़ रहा है और मुस्लिम समूह का भी केरल में अपना अस्तित्व रहा है और इस समूह से जुड़ी राजनीति भी परिलक्षित होती रही है। साक्षरता दर के 95 प्रतिशत से अधिक होने एवं इससे उत्पन्न हुई मतदाता जागरूकता ने यहां की राजनीति में हलचल पैदा की है। राज्य में किसान और मजदूर वर्ग व इनके संगठन भी मजबूत स्थिति में माने जाते हैं, जो यहां के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करते अवश्य हैं। केरल का मानव विकास सूचकांक भी उच्च स्तर पर है, क्योंकि सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती रही हैं। केरल की राजनीति में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदायों का प्रमुख स्थान है, यही समुदाय राज्य की राजनीति की दिशा को भी निर्धारित करते हैं। वर्तमान विधानसभा चुनाव परिणाम के उपरांत केरल की राज्य राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति भी दिख रही है। साथ ही सत्ता परिवर्तन का चक्र पुनः आरंभ हो गया है। अंत में यह सत्य है कि केरल का मतदाता सबसे अधिक जागरूक मतदाता है।

संदर्भ

1. ए. श्रीधर मेमन ए सर्वे ऑफ केरला हिस्ट्री, डीसी बुक्स, कोट्टायम, केरल, 2007, पृ 7–9.
2. केरल को ईश्वर का अपना देश के रूप में ब्रांड करने का श्रेय **वाल्टर मेंडेज** को जाता है, जो एक भारतीय विज्ञापन एजेंसी के क्रिएटिव डायरेक्टर थे, 1989 में केरल पर्यटन विभाग के अनुरोध पर राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए यह उक्ति उनके द्वारा रचित की गई थी।
3. केरल में राजशाही का अंत 1949 में हुआ, जब त्रावणकोर और कोचीन की रियासतों का विलय भारतीय संघ में हुआ। 1 जुलाई 1949 को कोचीन के अंतिम राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और 1000 वर्ष पुरानी रियासती परम्परा समाप्त हुई और 1956 में आधुनिक केरल का गठन हुआ।
4. केरल का भारतीय संघ में विलय मुख्य रूप से 1947–1949 के मध्य त्रावणकोर एवं कोचीन रियासतों के एकीकरण के माध्यम से हुआ। 12 अगस्त 1947 को त्रावणकोर के राजा ने वी. पी. मेमन के साथ चर्चा के बाद विलय पर सहमति जताई। 1 जुलाई, 1949 को त्रावणकोर–कोचीन राज्य बना और अंततः 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर आधुनिक केरल का गठन हुआ।
5. भारतीय संविधान 1950 के अनुसार केरल में एकसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा में 140 सीटें हैं।
6. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अधिकारिक रूप से 26 दिसंबर, 1925 को कानपुर में एक अखिल भारतीय सम्मेलन में हुई, इस पार्टी का वैचारिक आधार 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित था। पार्टी की नींव 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में पड़ी।
7. उत्तरी केरल में कन्नूर और पलक्कड़ जिले कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, तो कोल्लम और अलाप्पुझा जिले भी वामपंथी या मध्यवामपंथी दलों की ओर ही झुके हुए हैं।
8. केरल में राजनीतिक सत्ता दो गठबंधनों मुख्यतः यूडीएफ और एलडीएफ में बंटी हुई है।
9. थॉमस जॉनसन नोसीटर, *Communism in Kerla : A Study in Political Adaptation*, सी. हर्स्ट एंड कंपनी (लंदन) यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 1982, पृ. 65–242.
10. इलेक्शन एक्सप्लेनर, सिर्फ एक राज्य में ही क्यों बचा है वामपंथ, दैनिक भास्कर, 02 अप्रैल, 2026.
11. <https://thepolisproject.com/> वेबसाइट पर वी. कृष्णा अनंत "द डिसिमल ऑफ द फर्स्ट इलक्टड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला : एन एब्यूज ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टीट्यूशन", 31 जुलाई, 2021 से अंश उद्धृत।
12. फरवरी 1960 में केरल विधानसभा के चुनाव हुए और कम्युनिस्ट सत्ता से बाहर हो गए, अधिकांश सीटें कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के पास आ गईं।
13. श्री पट्टम थानु पिल्लई ने 1960 से 1962 तक केरल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, इन्होंने पंजाब और आंध्रप्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया, इनको केरल की राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति माना जाता है।
14. श्री आर. शंकर (कांग्रेस) केरल के पहले उप-मुख्यमंत्री बने और बाद में 26 सितंबर 1962 को केरल के तीसरे मुख्यमंत्री बनाए गए, भीतरघात के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया।
15. 10 सितंबर, 1964 को केरल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो 6 मार्च, 1967 तक (1131 दिन) जारी रहा।
16. 1965 में केरल विधानसभा चुनाव परिणाम त्रिशंकु विधानसभा वाले रहे, जिससे निलंबित विधानसभा और 25 मार्च 1965 से राष्ट्रपति शासन जारी रहा।
17. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1967 में सप्तकक्षी मुन्नानी नाम से गठबंधन सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व नंबूदरीपाद ने किया, इस गठबंधन सरकार के 7 घटक थे।

18. भारतीय राजनीति के महान विभाजक वर्ष 1967 में जब 17 में से 8 राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था तब केरल में भी गैर-कांग्रेसी सरकार बनी और महज 28 महीने के अंतराल पर 24 अक्टूबर, 1969 को विधानसभा में बहुमत खोने पर मुख्यमंत्री नंबूदरीपाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
19. 1970 के विधानसभा चुनावों के बाद सीपीआई, आईएनसी, आरएसपी, आईयूएमएल और पीएसपी के संयुक्त मोर्चे की कमान श्री मेमन ने संभाली और पहली बार केरल में किसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
20. 26 जून, 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, जो केरल में भी लागू हुआ, केरल की सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, क्योंकि उस समय केरल में गठबंधन सरकार जिसका नेतृत्व श्री अच्युत मेमन कर रहे थे, इस गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी शामिल थी। केरल की सरकार ने आपातकाल का समर्थन किया था।
21. डीआईआर और मीसा को सरकार द्वारा दमनकारी हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया। मेन्टीनेन्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स द्वारा सत्तारूढ़ों द्वारा अपने विरोधियों का दमन किया गया।
22. केरल में कॉलेज छात्र पी. राजन की पुलिस हिरासत में मौत ने राज्य की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिला के रख दिया और इस मौत के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करुणाकरण को अपने पद से 25 अप्रैल, 1977 इस्तीफा देना पड़ा।
23. श्री ए. के. एंटनी केरल के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, वे मात्र 36 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बने।
24. जनता का विश्वास खो दिया है के सिद्धांत के आधार पर 9 राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल, 1977 को लगाया गया था। यह कदम 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद उठाया गया था।
25. 29 अक्टूबर, 1978 को पी. के. वासुदेवन नायर केरल के मुख्यमंत्री बनाए गए उन्होंने 12 अक्टूबर 1979 को अपने पद से इस्तीफा दिया।
26. सी. एच. मोहम्मद कोया केरल के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे।
27. 5 दिसंबर, 1979 से 25 जनवरी, 1980 तक केरल में राष्ट्रपति शासन रहा।
28. 25 जनवरी 1980 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ई. के. नयनार मुख्यमंत्री बने, किंतु गठबंधन सहयोगियों के समर्थन वापिस लेने से 20 अक्टूबर, 1981 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
29. केरल में 21 अक्टूबर, 1981 से 28 दिसंबर 1981 तक गठबंधन टूटने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।
30. 28 दिसंबर 1981 को के. करुणाकरण को केरल का मुख्यमंत्री बनाया गया।
31. 79 दिनों के अंतराल पर केरल में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई और पुनः 17 मार्च, 1982 से 23 मई 1982 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा।
32. 7वीं केरल विधानसभा के चुनाव के परिणामस्वरूप पुनः के. करुणाकरण मुख्यमंत्री बने और उन्होंने केरल को राजनीतिक स्थिरता देकर अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया।
33. 1987 में एलडीएफ के श्री ई. के. नयनार मुख्यमंत्री बने।
34. 1991 के चुनावों से यूडीएफ की वापिसी एवं के. करुणाकरण का मुख्यमंत्री बनना राज्य में बारी-बारी से सरकार बदलने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
35. पामोलीन कांड जैसे भ्रष्टाचार के मामले से केरल राज्य की छवि खराब हुई, तत्कालीन सरकार पर यह आरोप लगा कि यूडीएफ सरकार ने सिंगापुर स्थित पावर एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी से 15000 टन पामोलीन तेल को बढ़ी हुई कीमतों पर आयात कर राज्य के खजाने को 2.8 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम आया।
36. 2013 में केरल उच्च न्यायालय ने पामोलीन ऑयल काण्ड में मुख्यमंत्री ओमन चांडी को क्लीन चिट दी थी, जिसे एलडीएफ ने चुनौती दी थी।

37. जून, 1991 में सत्ता संभालते हुए के. करुणाकरण ने केरल राज्य को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया।
38. इसरो जासूसी मामला नवंबर, 1994 में सामने आया। यह एक बेहद विवादास्पद और बाद में मनगढ़त साबित हुआ, आरोप था कि इसरो के वैज्ञानिक क्रायोजैनिक इंजन और तरल ईंधन वाले रॉकेट से जुड़ी गोपनीय जानकारी मालदीव के रास्ते पाकिस्तान को बेच रहे हैं, इससे भारतीय वैज्ञानिक नारायण का कैरियर तबाह हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में श्री नारायणन को निर्दोष मानते हुए उन्हें 50 लाख मुआवजा दिलवाया और उनकी गिरफ्तारी को अनावश्यक एवं मानसिक क्रूरता बताया।
39. ए. के. एंटनी जब मुख्यमंत्री बनाए गए, तब वे केरल राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वे उप-चुनाव के जरिए तिरुंगडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए।
40. 1996–2001 में ए. के. एंटनी ने केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई, उनके गठबंधन को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा।
41. 1996 में एलडीएफ सत्ता में लौटा और ई. के. नयनार पुनः मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए।
42. श्री नयनार के काल में पंचायती राज व नगरपालिका अधिनियमों में संशोधनों सहित कई महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए।
43. 2001 में विधानसभा चुनाव परिणाम के उपरांत सत्ता में यूडीएफ की वापसी हुई और ए. के. एंटनी मुख्यमंत्री बने।
44. केरल में 2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली इसलिए एंटनी के इस्तीफे के बाद ओमन चांडी मुख्यमंत्री बने।
45. एंटनी बनाम करुणाकरण गुट के मतभेदों के चलते केरल में 2004 के लोकसभा चुनावों में सभी 20 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई।
46. फ्रंटलाइन, 25 अक्टूबर, 2002.
47. श्री ओमन चांडी को 2013 में संयुक्त राष्ट्र का सार्वजनिक सेवा का पुरस्कार मिला।
48. श्री ओमन चांडी 50 से अधिक वर्षों तक पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए।
49. 2006 में केरल विधानसभा चुनाव में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की जीत हुई।
50. केरल में पारंपरिक एलडीएफ बनाम यूडीएफ के बीच सत्ता के हस्तान्तरण की राजनीति जारी रही, जहां हर पांच साल में सत्ता बदल जाती है।
51. वी. एस. अच्युतानंदन केरल में मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रिय आम आदमी के नेता थे।
52. मुख्यमंत्री श्री अच्युतानंदन ने केन्द्र सरकार की नीतियों विशेषकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध किया, क्योंकि इससे केरल के खाद्य तेल उत्पादक प्रभावित हो रहे थे।
53. श्री ओमन चांडी पुनः 18 मई, 2011 को केरल के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ विधानसभा चुनावों में विजित हुआ।
54. श्री चांडी ने डिजिटल केरल की नींव रखी, जिसे पिनाराई विजयन ने आगे बढ़ाया। केरल को 27 फरवरी, 2016 को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया।
55. 2016 में केरल के विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) ने शानदार जीत हासिल की।
56. 19 मई, 2016 को पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री बने।
57. 2016 में सत्ता में वापसी के बाद एलडीएफ ने 2021 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर केरल में प्रत्येक 5 साल में सरकार बदलने के 40 साल पुराने ट्रेंड को तोड़ दिया।
58. नवभारत टाइम्स 9 अप्रैल, 2025.
59. राजस्थान पत्रिका 5 मई, 2026.